न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
148/2012	29.08.2012	16.8.22

पीठासीन अधिकारी--हरविन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1- नन्दकिशोर आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी बरगु तहसील दीगोद जिला कोटा
(वादी)

बनामं

1- बद्रीलाल आत्मज नन्दलाल जाति मीणा निवासी बरगु तहसील दीगोद जिला कोटा(मृतक कायम मुकाम)
1/1 राजकुमार आत्मज रामविलास जाति मीणा निवासी बरगु तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
2- रामविलास आत्मज नन्दलाल जाति मीणा
3- सूरजबाई पत्नि बाबूलाल जाति मीणा
4- पवन कुमार आत्मज बाबूलाल जाति मीणा
5- राजकुमार आत्मज बाबूलाल जाति मीणा
6- अशोक कुमार आत्मज बाबूलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम बरगु तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
7- राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री गिरिराज मीणा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से-- श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी.एक्ट बाबत खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती एवं विभाजन

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी के पिता प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 व 3 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की ग्राम कुराडी तहसील दीगोद के खसरा नम्बर 37 की 2.07 हे0, खसरा नम्बर 38 की 1.79 हे0, कुल दो किता की 3.86 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 संलग्न है।

यह कि वादी के पिता प्रतिवादी नं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी नं0 4 ता 6 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की ग्राम बरगू तहसील दीगोद [illegible] नम्बर 240 की 2.01 हे0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नम्बर 241 की 1.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 286 की 0.40 हेक्टर, कुल तीन किता की हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है।

यह कि उपरोक्त मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी नं01 व 2 का 1/2 सा व प्रतिवादी नं0 3 का 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार मद नम्बर 2 में वर्णित भूमियों में तेवादी नं0 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 4 ता 6 का 1/2 हिस्सा है।

यह कि उपरोक्त भूमियां वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि है जो उनको उनके पिता व वादी के दादा नन्दलाल जी से प्राप्त हुई है। जिसमें वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा है।

यह कि उपरोक्त भूमियों पर वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के साथ शामलाती रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। जिससे वादी व प्रतिवादी नं0 1 के परिवार का गुजर बसर होता है।

यह कि मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमियां वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 की पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें वादी का जन्म से अधिकार है। उपरोक्त भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हिस्सा है। तथा वादी का प्रतिवादी नं0 1 के साथ बराबर बराबर का हक व हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादी का 1/8 व प्रतिवादी नं0 1 का 1/8 हिस्सा है। इस कारण वादी अपने पिता के हिस्से की भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपना नाम प्रतिवादी नं0 1 के साथ सहखातेदार के रूप में अंकित कराने व बराबर बराबर 1/8– 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है व विभाजन कराने का अधिकारी है।

यह कि प्रतिवादी नं0 1 लडाकू झगडालू किस्म का व्यक्ति है तथा उपरोक्त 1/4 हिस्से की भूमियों को बेचान करने पर आमादा है और वादी को पुश्तैनी भूमि से महरूम कर देना चाहता है। इस कारण वादी ने प्रतिवादी नं0 1 को उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रतिवादी नं0 1 के साथ अंकित कराने तथा उक्त भूमि को रहन बेचान नहीं करने को दिनांक 30.07.2012 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ने भूमि देने से व विभाजन कराने से व राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज कराने से इन्कार कर दिया ओर शीघ्र ही अपने 1/4 हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द व रहन बेचान करने की धमकी दी। इस कारण वाद कारण उत्पन्न होने पर वाद दर्ज करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

(1) कि ग्राम कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 37 की 2.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 38 की 1.79 हे0 कुल दो किता की 3.86 हेक्टर भूमि में वादी को प्रतिवादी नं0 1 के साथ बराबर बराबर 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार टेनेन्ट घोषित फरमाया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रतिवादी नं0 1 के साथ दर्ज किये जाने की डिक्री व निर्णय पारित किया जावे।

(2) कि ग्राम बरगू तहसील दीगादे जिला कोटा की खसरा नम्बर 240 की 2.01 हे0, खसरा नम्बर 241 की 1.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 286 की 0.40 हेक्टर, कुल तीन किता की 4.01 हेक्टर भूमि में वादी को प्रतिवादी नं0 1 के साथ बराबर बराबर 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार टेनेन्ट घोषित फरमाया जावे। तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम प्रतिवादी नं0 1 के साथ दर्ज किये जाने की डिक्री व निर्णय पारित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कि ग्राम कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 37 की 2.07 हेक्टर, नम्बर 38 की 1.79 हेक्टर कुल दो किता की 3.86 हेक्टर भूमि एवं ग्राम बरगू ...ल दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 240 की 2.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 241 की ...0 हेक्टर, खसरा नम्बर 286 की 0.40 हेक्टर कुल तीन किता की 4.01 हेक्टर भूमि का ...दी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 1/8 हिस्से की भूमि अलग ...ाते दर्ज किये जाने की डिक्री व निर्णय पारित किया जावे।

(4) अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:-

1- नकल जमाबन्दी सं02065-2068 ग्राम कुराडी

2- नकल जमाबन्दी सं0 2066- 2069 ग्राम बरगू

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण की मृत्यु 14.11.2016 को मृत्यु होने पर मृतक के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया।

वादी एवं प्रतिवादीगण में सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्ष में आपसी सहमति बनने एवं सहमति से उभय पक्ष में राजीनामा होने पर प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा एक लिखित राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया:-

उपरोक्त उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय में जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है।

यह कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुराडी की खसरा नम्बर 37 रकबा 2.07 हे0, खसरा नमबर 38 की 1.79 हे0, जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा है। तथरा ग्राम बरगू की भूमि खसरा नम्बर 240 की 2.01 हे0, खसरा नम्बर 241 की 1.60 हे0, खसरा नम्बर 286 की 0.40 हे0 जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 में से 1/2 या 1/4 हिस्सा है।

यह कि उपरोक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नं0 1/1 व प्रतिवादी नं0 2 के मध्य सहमति से राजीनामा हो गया है। उपरोक्त भूमि को जो प्रतिवादी नं0 1 के खाते में प्रतिवादी नं0 1 द्वारा अपने जीवनकाल में ही रजिस्टर्ड वसियत दिनांक 6.11.2012 को प्रतिवादी नं0 1/1 के नाम करा दी थी।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा हो गया है। इस कारण प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज भूमि ग्राम कुराडी व बरगू की प्रतिवादी नं0 1/1 के नाम खाते दर्ज की जावे जिसमें वादी की पूर्ण सहमति है तथा प्रतिवादी नं0 2 भी सहमत है।

यह कि वाद ग्रस्त भूमि जो प्रतिवादी नं0 1 बद्रीलाल के खाते में थी जिसमें वर्तमान में कब्जा भी वसियति उत्तराधिकारी के आधार पर प्रतिवादी नं0 1/1 का ही है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य सहमति से राजीनामा हो जाने के कारण प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से की ग्राम कुराडी की खसरा नम्बर 37 की 2.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 38 की 1.79 हेक्टर कुल 2 किता की 3.86 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी नं0 1/1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

यह कि ग्राम बरगू की खसरा नं0 240 की 2.01 हेक्टर , खसरा नम्बर 241 की 1.
ेक्टर , खसरा नम्बर 286 की 0.40 हेक्टर कुल 3 किता रकबा 4.01 हेक्टर भूमि में
ादी नं0 1/1 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त वाद को राजीनामा के आधार
डिक्री किया जावे।

इस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। सहमति से प्रस्तुत राजीनामा के साथ साक्ष्य में शपथ पत्र रामविलास (प्रतिवादी नं0 2), राजकुमार मीणा (प्रतिवादी नं0 1/1), एवं नन्दकिशोर आत्मज बद्रीलाल (वादी) प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिसल किये गये। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी के अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्षकारान के मध्य सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से की ग्राम कुराडी की खसरा नम्बर 37 की 2.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 38 की 1.79 हेक्टर कुल 2 किता की 3.86 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी नं0 1/1 को 1/2 हिस्से का एवं ग्राम बरगू की खसरा नं0 240 की 2.01 हेक्टर , खसरा नम्बर 241 की 1.60 हेक्टर , खसरा नम्बर 286 की 0.40 हेक्टर कुल 3 किता रकबा 4.01 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी नं0 1/1 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.8.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

नन्दकिशोर आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी बरगु तहसील दीगोद जिला कोटा
(वादी)

बनाम

- बद्रीलाल आत्मज नन्दलाल जाति मीणा निवासी बरगु तहसील दीगोद जिला कोटा(मृतक कायम मुकाम)

1/1 राजकुमार आत्मज रामविलास जाति मीणा निवासी बरगु तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

2– रामविलास आत्मज नन्दलाल जाति मीणा

3– सूरजबाई पत्नि बाबूलाल जाति मीणा

4– पवन कुमार आत्मज बाबूलाल जाति मीणा

5– राजकुमार आत्मज बाबूलाल जाति मीणा

6– अशोक कुमार आत्मज बाबूलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम बरगु तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री गिरिराज मीणा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी.एक्ट बाबत खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती एवं विभाजन

मिसल नं 148/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : उभय पक्षकारान के मध्य सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से की ग्राम कुराडी की खसरा नम्बर 37 की 2.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 38 की 1.79 हेक्टर कुल 2 किता की 3.86 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी नं0 1/1 को 1/2 हिस्से का एवं ग्राम बरगू की खसरा नं0 240 की 2.01 हेक्टर , खसरा नम्बर 241 की 1.60 हेक्टर , खसरा नम्बर 286 की 0.40 हेक्टर कुल 3 किता रकबा 4.01 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी नं0 1/1 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 16.8.22 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
...नामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
...य वजूह ...त	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
...हन्ताना ...वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	थमलान	0	0

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner